भाकृअनुप –सीफा, भुवनेश्वर में "संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण एवं महत्व" विषय पर हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

दिनांक: 23-09-2024

भाकृअनुप –केंद्रीय मीठाजल जीवपालन अनुसंधान संसथान, भुवनेश्वर के समस्त, अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु "संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण एवं महत्व" विषय पर एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 23-09-2024 को संस्थान के सम्मेलन कक्ष में किया गया। इस कार्यक्रम में वक्ता के रूप में श्री एच एल मीणा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भाकृअनुप –सीफा, द्वारा व्याख्यान दिया गया। इस अवसर पर संस्थान के वैज्ञानिक, तकनिकी एवं प्रशासनिक अधिकारी के कुल 45 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। डॉ धनंजय कुमार वर्मा, सीटीओ सह प्रभारी राजभाषा अधिकारी ने वक्ता सहित सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया साथ ही मुख्य वक्ता का परिचय दिया। तत्पश्चात् डॉ एस एस गिरी, प्रभारी निदेशक भाकृअनुप –सीफा ने सभा को संबोधित किया। तथा अपने उद्बोधन में कार्यशाला की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डाला एवं हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में गति लाने के लिए हिन्दी कार्यशाला की अहम भूमिका पर चर्चा की।

तदुपरान्त, मुख्य बक्ता श्री एच एल मीणा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भाकृअनुप –सीफा ने "संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण एवं महत्व" विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने संसदीय राजभाषा समिति की पृष्ठभूमि की जानकारी देते हुए बताया कि संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा (4) के तहत वर्ष 1976 में किया गया था। यह उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय समिति है। उन्होंने बताया कि यह समिति केन्द्र सरकार के अधीन आने वाले (या सरकार द्वारा वित्तपोषित) यभी संस्थानों का समय-समय पर निरीक्षण करती है और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संयद के प्रत्येक सदन में रखवाते हैं और राज्य सरकारों को भिजवाते हैं। इसमें 30 संसद सदस्य हैं, 20 लोकसभा में और 10 राज्यसभा के होते है । माननीय गृह मंत्री जी इस समिति के अध्यक्ष है। राजभाषा कार्य की प्रगति के निरीक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस समिति को तीन उप-समितियों में विभाजित किया गया है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य सरकार के कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करना है। उन्होंने हिंदी के प्रयोग से संबंधित संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की।उन्होंने राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेश पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक

व अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञमियां, संविदा, करार, अनुज्ञमियां, अनुज्ञापन, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषी रूप में, अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों में जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5, नियम 10 (4), नियम 11, नियम 12 आदि पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की इसके साथ ही अपने व्याख्यान के दौरान प्रतिभागियों द्वारा पूछी गई विषयान्तर्गत शकाओं को समाधान किया गया। अत में डॉ धनंजय कुमार वर्मा, सीटीओ सह प्रभारी राजभाषा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।